

बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ0 बजट-आवंटन-18/2013-277 (आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 26-03-2014
प्रेषक,

विवेक कुमार सिंह, मा0प्र0से0
प्रधान सचिव,

सेवा में,

मुख्य लेखा पदाधिकारी,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विषय :

भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय पूर्णियाँ की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष, 2010-11 से वित्तीय वर्ष, 2014-15 तक कुल 5 वर्षों के लिए ₹7750.00 लाख रुपये (सतहत्तर करोड़ पचास लाख रु० मात्र) की लागत पर योजना कार्यान्वयन के अधीन वित्तीय वर्ष, 2013-14 में सामान्य वर्ग के लिए ₹1352 लाख रुपये (तेरह करोड़ बावन लाख रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹13,52,00,000 (तेरह करोड़ बावन लाख रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राज्यादेश संख्या-1242 दिनांक-18.03.2014 द्वारा भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय पूर्णियाँ की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष, 2010-11 से वित्तीय वर्ष, 2014-15 तक कुल 5 वर्षों के लिए ₹7750.00 लाख रुपये (सतहत्तर करोड़ पचास लाख रु० मात्र) की लागत पर योजना कार्यान्वयन के अधीन वित्तीय वर्ष, 2013-14 में सामान्य वर्ग के लिए ₹1352 लाख रुपये (तेरह करोड़ बावन लाख रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। पुनः व्यय हेतु कुल ₹ 13,52,00,000 (तेरह करोड़ बावन लाख रु०) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।


2. उपरोक्त ₹13,52,00,000 (तेरह करोड़ बावन लाख रु०) मात्र की राशि का व्यय बजट शीर्ष-2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-मांग सं०-1-उप मुख्यशीर्ष-01-फसल कृषि कर्म-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष-0110-कृषि महाविद्यालय, पूर्णियाँ, विपत्र कोड-P2415012770110, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-50 41, में कुल उपबंधित 3355.80 लाख रुपये के अंतर्गत विषयशीर्ष-31 05- सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण मद में वर्ष, 2013-14 के तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त 1843.80 लाख रुपये से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-7857 दिनांक-31.07.2013 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन,


(विवेक कुमार सिंह)

प्रधान सचिव, कृषि विभाग।


ज्ञापांक


277 (आवंटन)

/कृ०, पटना, दिनांक 26-03-2014

प्रतिलिपि :
2.

महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




प्रधान सचिव, कृषि विभाग।

ज्ञापंक 277 (आवंटन)

/कृ०, पटना, दिनांक 26-03-2014

प्रतिलिपि : कृषि निदेशक/निदेशक उद्यान/निदेशक, पी०पी०एम (कृषि विभाग)/ निदेशक, भूमि संरक्षण/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन बिहार, पटना/उप कृषि निदेशक, (प्रसार)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ/जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर/नियंत्रक, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर/वित्त विभाग, (बजट-शाखा) बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, (प्रशाखा-04, समन्वय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

रिजवा

4/23/14
प्रधान सचिव, कृषि विभाग।